कन्या शादी सहयोग योजना

राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के गरीब व आर्थिक तौर पर कमजोर परिवार की बेटियों की शादी के लिए अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कन्या शादी सहयोग योजना की शरुआत की गयी है। जिसके माध्यम से सरकार गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं। राजस्थान सरकार की इस योजना के अंतर्गत राज्य की गरीब लड़कियों व अनुसूचित जाति की लड़कियों एवं बीपीएल परिवारों की दो बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ।

Kanya Shadi Sahyog Yojana Rajasthan –

इस योजना के माध्यम से सरकार राज्य की 18 वर्ष की आयु से अधिक उम्र की लड़कियों की शादी के लिए 20 हजार रूपये का अनुदान प्रदान करेगी ,तथा राज्य में 10वीं पास करने वाली लड़कियों की शादी के लिए 30,000 रूपये का अनुदान प्रदान कर रही है। व स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली बेटी की शादी के लिए 40 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दे रही है। राज्य के सभी आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की 2 बेटियों की के लिए इस योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

राजस्थान कन्या विवाह सहयोग योजना के लाभ हेतु आवेदन करने के लिए आवशयक दस्तावेज :

1. निवास प्रमाण पत्र
2. आधार कार्ड
3. आयु प्रमाण पत्र
4. आय प्रमाण पत्र
5. बीपीएल प्रमाण पत्र आदि

Eligibility Conditions for Kanya Shadi Sahyog Yojana

राजस्थान कन्या विवाह सहयोग योजना के लाभ हेतु आवेदन करने के लिए निम्नलिखित पात्रता का होना अनिवार्य है:

- आवेदन व्यक्ति राजस्थान का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- बेटी की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- धनराशि एक परिवार की पहली 2 बेटियों के विवाह के लिए ही प्रदान की जाएगी।
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / बीपीएल एवं अल्प आय का प्रमाण पत्र होना चाहिए।